न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस
अपील संख्याः 654/2015
निर्णय दिनांकः

1. धन्ना पुत्र भौरिया जाति माली, निवासीः वार्ड नंबर 5, मौहल्ला दरीबान कस्बा चाकसू, जिला जयपुर।
2. नाथी बेवा रामफूल
3. प्रहलाद पुत्र स्वर्गीय श्री रामफूल
4. बाबू पुत्र स्वर्गीय श्री रामफूल
5. कालू पुत्र स्वर्गीय श्री रामफूल
6. पप्पू पुत्र स्वर्गीय श्री रामफूल
7. नारायण पुत्र स्वर्गीय श्री रामफूल
8. गणेश पुत्र स्वर्गीय श्री रामफूल
9. श्रीमती गुड्डी पुत्री स्व. श्री रामफूल
10. श्रीमती मीरा पुत्री स्व. श्री रामफूल
    जाति माली निवासीः वार्ड नंबर 3 रामद्वारे के पास, जीताली कोठी के सामने, कस्बा चाकसू, जिला जयपुर।

..... अपीलार्थीगण

बनाम

1. पंचमुखी हनुमान पुजारी श्री श्री 108 श्री बावनदास चेला जानकीदास
   .....(मृतक दौराने दावा)
   1/1 जगदीश उर्फ जयराम दास चेला श्री बावनदास, निवासीः कैला बाडी पंचमुखी हनुमान मंदिर ग्राम चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
2. किशनलाल पुत्र श्री प्रभुलाल
3. चन्दा पुत्र भौरया
4. काना पुत्र प्रभु
5. भागचन्द पुत्र मोहनलाल
6. पूरण पुत्र स्व. रामनारायण
7. कन्हैयालाल पुत्र स्व. रामनारायण
   समस्त जाति माली, निवासीः वार्ड नंबर 5, कस्बा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
8. सुरेश चन्द पुत्र श्री रामनारायण जाति माली, निवासीः वार्ड नंबर 5, कस्बा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
9. गोविन्दा पुत्र नानगराम
10. जगदीश पुत्र रामेश्वर
11. रामस्वरूप पुत्र घासीराम
12. गुलाब चन्द पुत्र घासीराम
13. रामकरण पुत्र घासीराम
    समस्त जाति माली, निवासीः वार्ड नंबर 2, कस्बा चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
14. मोहम्मद शमीम पुत्र रज्जाक जाति मुसलमान, निवासीः वार्ड नंबर 3, कस्बा चाकसू, जिला जयपुर।
15. बाबूलाल पुत्र रामू अहीर, निवासीः ग्राम खिजूरियान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
16. कमला बेवा छोटू
17. रामोतार पुत्र स्व. छोटू

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

18. लालचन्द पुत्र स्व. छोटू
19. अशोक पुत्र स्व. छोटू
20. शंकर पुत्र स्व. छोटू
21. सोनी देवी पुत्री छोटू
    समस्त जाति माली, निवासीः वार्ड नंबर 5, मोहल्ला दरीबान चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
22. संज्या पत्नि रामनाथ माली पुत्री स्वर्गीय श्री भौरया माली, निवासीः ग्राम थली, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
23. श्रीमती मोगरी पुत्री भौरया पत्नि श्री केसूराम, जाति माली, निवासीः मोढापाडा वार्ड सं. 18, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
24. सोनी पुत्री भौरया पत्नि घासीराम, निवासीः मोढापाढा वार्ड संख्या 18, कस्बा चाकसू, जिला जयपुर।
25. जगदीश नारायण पुत्र रामेश्वर प्रसाद यादव, निवासीः वार्ड नंबर 2, कस्बा चाकसू, जिला जयपुर।
26. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 30.11.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जयपुर, वाद पत्र संख्या 276/2012 उनवान पंचमुखी हनुमान बनाम किशनलाल व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–: दिनांक 26/2/2021

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जयपुर के प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 30.11.2015 वाद पत्र संख्या 276/2012 बउनवानी पंचमुखी हनुमान बनाम किशनलाल व अन्य के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 9007, 9023, 9668, 9669, 9670, 9671, 9675 एवं 9676 कुल किता 8 कुल रकबा 7.900 हैक्टेयर ग्राम चाकसू पश्चिम, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित जिसके वादी व प्रतिवादी खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त कृषि भूमियों के कालान्तर में विरासत व विक्रय के पक्षकारों के नाम अलग अलग नामान्तकरण खुले है। वादी श्री पंचमुखी हनुमान जी बावनदास जी का आराजी में हक हिस्सा निहित है। वादी विवादग्रस्त भूमि में से अपनी भूमि जो कि रोड के सहारे सहारे है तथा मंदिर श्री पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर की आने वाली रोड के सहारे उत्तर दिशा की ओर वाली भूमि पर काबिज काश्त है। जहां पर नीम, बबूल, खेजडे व अन्य वृक्ष लगे हुये है जो वादी द्वारा समस्त अपना खर्चा कर लगाये गये है और वादी के लोग इनकी देखभाल करते है। वादी इस भूमि पर अर्से दराज से इसी प्रकार काबिज चला आ रहा है। वादी एक समाजसेवी व पूजा पाठ करने वाला आदमी है जो कि लोक कल्याण में रत एक संत है तथा लोक कल्याण के उद्देश्य से वादी ने अपने कब्जे वाली भूमि में दुर्लभ आयुर्वेदिक औषधियों के पौधे लगा रखे है जिनसे वह अपने पास मंदिर में आने वाले रोगियों का निस्वार्थ उपचार करता है तथा दवा का विरतण भी समाज सेवा में करता है। हाल ही में जमीनों के भाव बढ जाने से कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर आये एवं वादी को बेदखल करने की कोशिश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कर वादी के लगाये गये पेड पौधों को मशीन द्वारा हटाने लगे एवं कब्जा करने पर उतारू हो गये, जिस पर मंदिर के दर्शनार्थियों एवं आस पास के लोगो द्वारा समझाये जाने पर उस समय तो प्रतिवादीगण वहां से चले गये किन्तु मौका मिलते ही वादी को आराजीयात से बेदखल करने की धमकी देकर गये जिस कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये अंत में यह अनुतोष चाहा है कि ग्राम चाकसू, पश्चिम तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित विवादग्रस्त भूमि का काबिज काश्त अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाया जाकर वादी का खाता अलग अलग कर अलहदा लगान कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत न स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करवाये। दौराने वाद प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वे वादी के मंदिर के पास वाली रोड पर उत्तर दिशा की ओर स्थित भूमि पर से वादी को बेदखल नहीं करे व लोक कल्याण के कार्यो पर बाधा न डाले, पेड पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाये। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 30.11.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार चाकसू को आदेशित किया कि वादग्रस्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में तकासमा प्रस्ताव तैयार कर, तकासमा के कुरैजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील अपीलार्थी एवं वकील रेस्पोडेन्ट्स की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुना गया एवं ना ही अधिवक्ता अपीलान्ट को ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया। अधिवक्ता अपीलान्ट की गैरमौजूदगी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली वास्ते जवाबदावा पेश करने एवं अन्य प्रतिवादी की तामील की तामील हेतु नियत था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 14 व 25 व उनके अधिवक्ता की सहमति से ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिस पर अपीलान्ट या अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा कोई सहमति प्रदान नहीं की गई है बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नंबर 9670 रकबा 2.50 हैक्टेयर अर्थात 6 बीघा 8 बिस्वा भूमि के अलावा भूमि 24 बीघा 17 बिस्वा भूमि ही बंटवारे योग्य शामलाती भूमि ही विभाजन योग्य है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट की सुनवाई किये एवं उनका मालिकाना हक व कब्जे की अलग खाता संख्या 423 की भूमि जो वर्तमान में विभाजन योग्य नहीं थी, के बावजूद साबिक खसरा नंबर 5775 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 9670 रकबा 2.50 हैक्टैयर भूमि का भी विभाजन कर गलत निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त बिन्दुओं पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के विभाजन के नियमों अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में कुरैजात तैयार करने की प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की है साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनवाई का संपूर्ण अवसर प्रदान करते हुये ही निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी ने मात्र रेस्पोडेन्ट को परेशान करने के उददेश्य से आधारहीन तथ्यों का समावेश करते हुये अपील प्रस्तुत की है जो खारिज फरमाई जावे।

4. वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजीयात के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2015 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय की ऑर्डरशीट अनुसार विचाराधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 से पूर्व प्रकरण जवाबदावा तथा शेष प्रतिवादीगण की तामील हेतु तय था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की नोटशीट पर प्रतिवादी संख्या 2 से 14 व 25 तथा वादी के अधिवक्ता ने अपनी सहमति दी है अर्थात शेष पक्षकारों ने अपनी सहमति नहीं दी थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के समस्त पक्षकारान द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने की सहमति न दिये जाने के बावजूद भी न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण न करते हुये अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित की है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त पक्षकारों को सम्मन तामील करवाये बिना ही उनकी सहमति को आधार बनाकर, सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलोच्यधीन निर्णय दिनांक 30.11.2015 पारित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन कर न्यायिक त्रुटि कारित की है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 30.11.2015 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 30.11.2015 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के समस्त पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26/2/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर